श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक–12.11.2025 के अपने आदेश में झारखण्ड सरकार को निर्देशित किया है कि सारंडा सघन वन क्षेत्र के 431 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र को तीन माह के भीतर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करें;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I.A. No-153500-153502/2024 in WP(C) No-202/1995 में दिनांक–13.11.2025 के पारित आदेश द्वारा सारण्डा वन प्रमंडल के 314.6825 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में से 06 कम्पार्टमेंट को छोड़कर तीन माह के भीतर वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित करने का निदेश दिया गया है।
2– क्या यह बात सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की तीन माह का समय–सीमा आगामी 12 फरवरी, 2026 को पूरी हो जाएगी, परन्तु राज्य सरकार ने अभी तक सारंडा वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने के बारे में अधिसूचना निर्गत नहीं किया है;	स्वीकारात्मक।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सारंडा वन क्षेत्र के 431 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	दिनांक–13.11.2025 के पारित आदेश के कुछ बिन्दुओं पर Clarification हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में समीक्षा याचिका (Review Petition) दायर किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित–34/2026– 646 राँची दिनांक– 22/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–4076, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/26

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।